



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड  
(भारत सरकार का उपक्रम- मिनिस्टर कम्पनी)  
बीज भवन, पूसा परिसर  
नई दिल्ली -110 012।  
फैक्स- 011- 25846462  
केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़ (राज.)  
फैक्स-01509-238027

**NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED**  
(A Government of India Undertaking)  
(CIN : U74899DL1963PLC003913)  
**BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX**  
**NEW DELHI-110 012 (INDIA)**  
Website: www.indiaseeds.com  
PHONES : 25842383, 25846272, 25842692, 25846295  
e-mail – [nsc@indiaseeds.com](mailto:nsc@indiaseeds.com)  
**CENTRAL STATE FARM, SARDARGARH**  
**PHONES: ( 01509-238027, 238296 (Office)**  
Tele – Fax :- 01509-238027  
e-mail – [directorcsfsg@gmail.com](mailto:directorcsfsg@gmail.com)

क्रमांक:- सर0/कृषि/23/2022-23-

दिनांक: -22.10.2022

### निविदा- सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म सरदारगढ़ जिला श्री गंगानगर (राज0.) में फार्म के (खण्ड 4 के चक संख्या 39,40,42,44,45 पीबीएन ) व (खण्ड 5 के चक संख्या 47,49 पीबीएन) में निम्नलिखित कार्य प्रस्तावित है।

क्र.सं.	कार्य विवरण
1.	विभिन्न चको में खड़ी विलायती कीकर (जूलिफेरा) को जमीन की सतह से काटकर कर अपने साधन से कुत्तर बनाकर फार्म के धर्मकांटे से तोल के आधार पर।
2.	विभिन्न चको में आधी तूफान से गिरे देशी किकर इत्यादि पेड़ों की 6 इंच या इससे छोटी शाखाओं एवं छांगन की कुत्तर बनाकर फार्म के धर्मकांटे से तोल के आधार पर।

उपरोक्त कार्यों के लिए धरोहर राशि रुपये 10000.00 प्रति चक निर्धारित है। निविदा दिनांक 04.11.2022 को शाम 3.00 बजे तक आमंत्रित कि जाती है जो कि उसी दिन 3.30 बजे फार्म मुख्यालय में गठित समिति द्वारा उपस्थित पार्टियों के सामने खोली जायेगी।

अतः इच्छुक ठेकेदार/पार्टिया संबंधित कार्य का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि “नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, सरदारगढ़” के नाम से सूरतगढ़ में देय हो, फार्म खजान्ची के पास धरोहर राशि के रूप में जमा कराकर निविदा में भाग ले सकते हैं। नीलामी संम्बन्धी नियम एवं शर्तों की जानकारी किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में ली जा सकती है। निविदादाता को नीलामी के समय अपने पेन कार्ड की फोटोप्रति व आवासीय पते हेतु राशनकार्ड अथवा अन्य सबूत की फोटोप्रति निविदा के साथ सलग्न करनी होगी। टेण्डर फार्म रु.236/- (Including 18% GST) नगद जमा करवाकर प्राप्त किया जा सकता है। तथा इसकी विस्तृत जानकारी वेबसाइट [www.indiaseeds.com](http://www.indiaseeds.com) पर देखी जा सकती है।

सहा महाप्रबंधक (उत्पादन)  
केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़

**राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड**  
**केन्द्रीय राज्य फार्म सरदारगढ, राज0**

**फार्म प्रक्षेत्र में खड़े विभिन्न जूलीफेरा को जड़ की सतह से काटने के बाद कुत्तर बनाने के कार्य की नियम व शर्तें ।**

1. निविदा में भाग लेने से पूर्व प्रत्येक कार्य हेतू रूपये 10000/- (रूपये दस हजार मात्र) प्रति चक जिसमें कार्य खड़ी विलायती कीकर (जूलीफेरा) की लकड़ी जड़ की सतह से काटना व कुत्तर करना) की धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट जो कि "**नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सरदारगढ**" के नाम से सुरतगढ. में देय हो खजान्ची के पास जमा करवाने होगा, बैंक स्वीकार नहीं किया जायेगा।
2. धरोहर राशि कार्य संतोषजनक पूर्ण होने के बाद ही लौटाई जायेगी, जिस पर कोई भी ब्याज देय नहीं होगा।
3. सक्षम अधिकारी/फार्म निदेशक को यह अधिकार होगा कि उच्चतम टेण्डर/बोली को स्वीकार करें अथवा नहीं करें। इसकी सूचना तुरन्त या अगले दिन घोषित कर दी जाएगी।
4. कुत्तर की जाने वाली लकड़ियों कि दर प्रति क्विंटल होगी, किसी भी प्रकार का सरकार को देय टैक्स इत्यादि अगर होगा तो उसका भुगतान पार्टी को स्वयं करना होगा।
5. जूलीफेरा (विलायती कीकर) कटाई का कार्य एक सिरे से करना होगा, एवं छोटा-मोटा जो भी जूलीफेरा खड़ा है उसे काट कर कुत्तर बनाकर ले जाना होगा। पूरा कार्य चक इन्चार्ज की देखरेख एवं निर्देशानुसार करना होगा।
6. अन्तिम रिलिज आदेश से पूर्व 100.00 कुण्टल भार से कम का रिलिज आदेश किसी भी हालात में जारी नहीं किया जायेगा।
7. वाहनों को आने जाने के लिये जो रास्ता निर्धारित है ठेकेदार उसी का उपयोग करेगा, वह अलग से कोई रास्ता नहीं बनायेगा। ठेकेदार या उसका आदमी किसी भी प्रकार का झगड़ा/विवाद फार्म कर्मचारी के साथ नहीं करेगा। ठेकेदार या उसके आदमियों द्वारा किसी प्रकार का नुकसान फार्म को किया गया तो उसका सम्पूर्ण जिम्मेवार ठेकेदार ही होगा तथा निदेशक द्वारा लगाया गया दण्ड/जुर्माना, ठेकेदार द्वारा देय होगा।
8. प्रत्येक वाहन को सम्बन्धित खण्ड के धर्मकांटे पर तुलाई के बाद ही बाहर जाने की अनुमति होगी तथा हर वाहन का गेट पास कटवाने के बाद ही माल बाहर जाने दिया जायेगा।
9. जूलीफेरा (विलायती कीकर) एवं आंधी तूफान से गिरे देशी किकर इत्यादि पेड़ों की 6 इंच या इससे छोटी शाखाओ एवं पेड़ों के छांगन का कुत्तर बनाने के कार्य की अवधि 31.03.2023 तक होगी आवश्यकतानुसार कुत्तर बनाने के कार्य की अवधि बढ़ायी भी जा सकती है।
10. ठेकेदार को सभी कार्य चक **प्रभारी/खण्ड** प्रभारी की देखरेख व निर्देशानुसार करना होगा।
11. कार्य के दौरान श्रमिकों के साथ दुर्घटना/नुकसान इत्यादि की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
12. इस कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व पार्टी/ठेकेदार को रूपये 100/- (रूपये मात्र सौ) का नॉन-ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर एग्रीमेन्ट के लिए इस कार्यालय को उपलब्ध करवाना होगा इसके बाद ही कार्य प्रारम्भ करने दिया जाएगा।
13. उपरोक्त नियम व शर्तों का उल्लंघन करने पर ठेका निरस्त किया जा सकता है।
14. यदि कुत्तर ठेकेदार द्वारा जानबुझ कर या अनजाने में कोई अन्य पेड़ या पेड़ की मोटी शाखा काट कर कुत्तर बना दिया जाता है तो ऐसी दशा में फार्म प्राधिकारी द्वारा नियत पेड़ की पूरी कीमत के साथ जुर्माना भी अदा करना होगा जो कि पेड़/लकड़ी की कीमत से दो गुना होगा। यदि ठेकेदार या उसके कार्यकर्ता बार-बार ऐसा करते हैं तो फार्म को पूर्ण अधिकार होगा कि पूर्ण कीमत और जुर्माना वसूल कर ठेका निरस्त कर दें।
15. यदि किसी भी पद या मामले में एन.एस.सी. और दूसरे पक्ष के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है तो दोनो पक्ष आपसी समझ और चर्चा के माध्यम से इसे हल करने का विकल्प चुनेंगे। यदि चर्चा के बाद भी विवाद बना रहता है तो मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के प्रावधान के तहत मुद्दों को हल करने के लिये पार्टियों पर बाध्यकारी होगा। इस प्रावधान के तहत अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक, एन. एस.सी. दोनो पक्षों की सहमति से मुद्दे को हल करने के लिये एक मध्यस्थ नियुक्त करेगा और दोनो पक्षों को निर्णय का पालन करना होगा। दोनो पक्ष न्यायालय में जाने से पहले मध्यस्थता के माध्यम से विवाद को हल करने के लिये बाध्य होंगे। मध्यस्थता नई दिल्ली में और अंग्रेजी भाषा में आयोजित की जायेगी। न्यायालय क्षेत्र दिल्ली होगा।
16. आर्बिट्रेशन एण्ड कानसिलिएशन के उपरांत भी कोई विवाद होता है तो न्याय हेतु दिल्ली न्यायालय क्षेत्र ही मान्य होगा।

नोट:- उपरोक्त नियम व शर्तें मैंने पूर्ण रूप से पढ व समझ ली है तथा मुझे मान्य है एवं इनसे मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ।

**निविदादाता का हस्ताक्षर**



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड  
(भारत सरकार का उपक्रम- मिनिस्ट्रल्स कम्पनी)  
बीज भवन, पूसा परिसर  
नई दिल्ली -110 0121  
फैक्स- 011- 25846462  
केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़ (राज.)  
फैक्स-01509-238027

**NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED**  
(A Government of India Undertaking)  
(CIN : U74899DL1963PLC003913)  
**BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX**  
**NEW DELHI-110 012 (INDIA)**  
Website: [www.indiaseeds.com](http://www.indiaseeds.com)  
PHONES : 25842383, 25846272, 25842692, 25846295  
e-mail – [nsc@indiaseeds.com](mailto:nsc@indiaseeds.com)  
**CENTRAL STATE FARM, SARDARGARH**  
**PHONES: ( 01509-238027, 238296 (Office)**  
Tele – Fax :- 01509-238027  
e-mail – [directorcsfsg@gmail.com](mailto:directorcsfsg@gmail.com)

क्रमांक :- सर/कृषि/23/2022-23-

दिनांक: -

खण्ड संख्या/चक संख्या:-.....

फार्म प्रक्षेत्र में खड़े विलायती कीकर (जूलीफेरा) को जड़ की सतह से काटने के बाद कुत्तर बनाने का टेण्डर फार्म

क्र. सं.	कार्य विवरण	दर प्रति क्विंटल फार्म को जमा करवाऊंगा (रूपये में)
1.	विभिन्न चको में खड़ी विलायती कीकर (जूलीफेरा) को जमीन की सतह से काटकर कर अपने साधन से कुत्तर बनाकर फार्म के धर्मकांटे से तोल के आधार पर।	.....
2.	विभिन्न चको मे आंधी तूफान से गिरे देशी कीकर इत्यादि पेड़ो की 6 इंच या इससे छोटी शाखाओ एवं छांगन की कुत्तर बनाकर फार्म के धर्मकांटे से तोल के आधार पर।	.....

नोट:- चक संख्या 50,52,43,46,48,51 पीबीएन को छोड़कर अन्य चको के लिए निविदा में दरे दी जानी है।

हस्ताक्षर :- .....

नाम :- .....

पिता का नाम :- .....

स्थायी पता :- .....

.....

.....

फोन नं. :- .....

पेन कार्ड नं. :-.....